न्यायालय :– अपर जिला न्यायाधीश संख्या 01, ब्यावर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मंजू शर्मा बनाम चांदनी शर्मा व अन्य उत्तराधिकारी प्रार्थना पत्र संख्या– 46/2026 सी.एन.आर. संख्या– RJBE01–002184–2026 1	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.08.2026	वकुलाय फरीकेन उपस्थित। इस आदेश के द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सीपीसी का निस्तारण किया जा रहा है। प्रार्थी पक्ष की ओर से यह आवेदन अप्रार्थीगण के विरुद्ध मृतक अभिषेक व्यास की जमाशुदा राशियों एवं परिलाभों का 1/3 हिस्सा रोके जाने हेतु अंतरिम अस्थायी व्यादेश हेतु प्रस्तुत किया गया है। बहस के दौरान सुयोग्य अधिवक्ता प्रार्थिया का कथन रहा है कि प्रार्थिया का पुत्र अभिषेक व्यास, जो कि अप्रार्थी संख्या 01 का पति व अप्रार्थी संख्या 02 का पिता रहा है। वह सरकारी अध्यापक रहा है। जिसकी मृत्यु दिनांक 21.05.2026 को हो गई। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थिया उसकी 1/3 संपत्ति की वारिस रही है। पुत्र अभिषेक की मृत्यु के पश्चात अप्रार्थिया संख्या 01 समस्त आभूषण, बैंक खातों व बीमा पॉलिसियों के दस्तावेजात लेकर पीहर चली गई और अनुकम्पा नियुक्ति एवं समस्त आर्थिक लाभ प्राप्त करने पर आमादा है, जिसमें 1/3 हिस्सा प्रार्थिया का मौजूद करता है। आवेदन की मद संख्या 10 में बैंक खातों और बीमा पॉलिसियों का वर्णन दिया गया है। यदि मूल आवेदन के निस्तारण से पूर्व स्व. अभिषेक व्यास की मृत्यु उपरांत उद्भूत होने वाले परिलाभों में से 1/3 हिस्सा भी अप्रार्थी संख्या 01 व 02 को प्राप्त हो जाता है तो मूल आवेदन के निस्तारण का औचित्य खत्म होकर विधिक पेचीदगियां जन्म लेंगी। आवेदन स्वीकार करते हुए अंतरिम निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया। जवाब बहस में सुयोग्य अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 व 02 का कथन रहा है कि अप्रार्थिया संख्या 01 के साथ लगातार घरेलू हिंसा उसके पति की मृत्यु के पश्चात कारित की गई और उसे ससुराल से निकाल दिया गया। अप्रार्थिया संख्या 01 पोस्ट ऑफिस बीमा पॉलिसी एवं अन्य बैकों खातों में नॉमिनी रही है। प्रार्थिया का पति सीमेंट फैक्ट्री से रिटायर्ड कर्मचारी है, जिसे पेंशन मिलती है। स्व. अभिषेक व्यास के सारे परिलाभ, वेतन भत्तों में कानून प्रार्थिया का कोई हक व हित नहीं बनता है। बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 की धारा 39 की उपधारा 7 के तहत अप्रार्थिया संख्या 01 चांदनी शर्मा लाभार्थी नॉमिनी होने से समस्त लाभ प्राप्त करने की अधिकारिणी है। अनुकम्पा नियुक्ति भी अप्रार्थिया संख्या 01 प्राप्त करने की अधिकारिणी है। उनका यह भी कथन रहा है कि प्रार्थिया ने अपनी पुत्री अंजलि के मोह में अप्रार्थिया संख्या 01 को अनुकम्पा नियुक्ति से वंचित करने की नीयत से स्व. अभिषेक व्यास के परिलाभों में देरी करने के आशय से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो खारिज किए जाने योग्य रहा है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में प्रार्थना पत्र के तहत घोषणा की डिक्री प्रदान नहीं की जा सकती है, इसलिए मूल प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। वाद मूल्यांकन भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अप्रार्थी संख्या 09 बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम की ओर से निवेदन किया गया कि बीमा पॉलिसी संख्या–188456519 दिनांक 14.12.2025 को परिपक्व हो गई थी, जिसका भुगतान भी दिनांक 14.12.2025 को स्व. अभिषेक व्यास द्वारा अपने जीवनकाल में ले लिया गया था। जवाबुल बहस में प्रार्थिया के सुयोग्य अधिवक्ता का कथन रहा है कि वाद मूल्यांकन कर यथोचित न्यायालय फीस प्रस्तुत करने हेतु वह तैयार है, इस आधार पर यह आवेदन खारिज करने योग्य नहीं है। मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मूल प्रार्थना पत्र	

मृतक अभिषेक व्यास, जो राजकीय सेवा में होकर राजकीय विद्यालय में अध्यापक के पद पर कार्यरत था। उसकी मृत्योपरांत सेवा परिलाभ, बचत खातों एवं बीमा पॉलिसियों की राशियों एवं चल संपत्तियों के संबंध में 1/3 हिस्से के लिए प्रार्थिया द्वारा स्वयं को वर्ग–प्रथम की उत्तराधिकारी बतलाते हुए मूल आवेदन प्रस्तुत किया गया है। सेवा परिलाभ में अनुकम्पा नियुक्ति भी शामिल है। जिसके संबंध में राजस्थान सरकार का परिपत्र क्रमांक प.5(51)कार्मिक/क–2/88 पार्ट जयपुर, दिनांक 31 मई 2016 रहा है। अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के नियम–2(ग) में आश्रित की परिभाषा में माता या बहन सम्मिलित नहीं है, बल्कि पति, पत्नी, पुत्र, अविवाहित/विधवा पुत्री सम्मिलित हैं, जो उस पर आश्रित थे।

राजस्थान सिविल सेवा पेन्शन नियम, 1996 के नियम 67 के अनुसार सर्वप्रथम विधवा पेन्शन प्राप्त करने की अधिकारणी होती है और नियम 69 के अनुसार पेन्शन एक ही सदस्य को दी जा सकती है।

भारतीय जीवन बीमा निगम की पॉलिसी के संबंध में अप्रार्थी संख्या 09 का जवाब रहा कि संबंधित बीमा पॉलिसी संख्या–188456519 का भुगतान पॉलिसी की परिपक्वता दिनांक 14.12.2025 को स्व. अभिषेक व्यास द्वारा ले लिया गया था।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टांत–Shruti Manav Sharma & Anr. v. Sunanina Singh & Ors., 2026 LiveLaw (SC) 798 (SLP CIVIL NOS.–12592–12597 OF 2026) निर्णय दिनांक 12.08.2026 में यह माना है कि–*' निषेधाज्ञा के आदेश के समय मामले की Mini Trial नहीं की जानी चाहिए, बल्कि प्रथमदृष्टया ही मामले को परखा जाना चाहिए। '*

अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के सुयोग्य अधिवक्ता का तर्क है कि मूल प्रार्थना पत्र विधिक रूप से संधारणीय नहीं है तो यह इस प्रक्रम पर तय नहीं किया जाकर विवाद बिन्दु कायम किए जाकर तय किए जाने योग्य बिन्दु है।

प्रार्थिया स्वीकृत रूप से मृतक की माता रही है, जो कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम से शासित है।

इस प्रकार उपरोक्त विवेचनोपरांत अप्रार्थी पक्ष को मामले के निस्तारण तक मृतक अभिषेक व्यास के ग्रेच्युटी, भविष्य निधि और मृतक से संबंधित बैंक खातों एवं बीमा पॉलिसियों (जिनका भुगतान शेष है) में जमाशुदा राशियों में से 1/3 हिस्से की राशि आहरित एवं वितरित नहीं किए जाने से जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा निवारित किया जाता है।

अन्य परिलाभ यथा मृतक अभिषेक व्यास की पेन्शन एवं अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में संबंधित विभाग प्रभावी विधि एवं नियमों के तहत कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेंगे। प्रार्थना पत्र उक्तानुसार स्वीकार किया जाकर निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली वास्ते विरचित किए जाने विवाद बिन्दु हेतु दिनांक 11.09.2026 को पेश हो।

(विकास सिंह चौधरी)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
संख्या 01, ब्यावर, जिला ब्यावर

Signature Not Verified

Digitally signed by
Date: 2026.08.14 16:33:49 IST